तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2018	राजस्व वाद संख्या 57/2014 नाथूसिंह बनाम पीरा वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट पत्रावली आज कैम्प कोर्ट दईपड़ा खिचियान पक्षकारों द्वारा राजीनाम पेश करने पर पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 6/1 तथा 8 का जवाब दावा पेश किया हुआ है। यह जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण ने कोई उजर एतराज नहीं होने का अंकन किया है। बताया है कि वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तो उन्हे कोई आप्पती नहीं है। पक्षकारो द्वारा राजीनामा पेश किया है जिसमें नाथूसिंह के वारिसान को खसरा नम्बर 398 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा ग्राम दईपड़ा खिचायान के खातेदार घोषित करने में अपनी सहमती पेश है। प्रार्थना पत्र मे दर्शाया है कि पंजीबद्व बैचाननामा के बाद हम प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है। और न ही मौके पर कोई कब्जा काश्त है। अतः चूकि प्रतिवादगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमती दी है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। **आदेश** अतः आदेश है कि ग्राम दईपड़ा खिचियान के खसरा नम्बर 398 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा का वादी नाथूसिंह पुत्र कोजसिंह के वारिसान 1/1 चन्द्रकंवर पत्नि नाथूसिंह 1/2 गंगासिंह पुत्र नाथूसिंह 1/3 हुक्मसिंह पुत्र नाथूसिंह 1/4 गोविन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह वादी 1/4 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता चन्द्रकंवर पत्नि नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी दईपड़ा खिचियान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी सम्वत 2068–71 कि खाता संख्या 91 में दर्ज खातेदारों का नाम डिलिट किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण बरखिलाफ़ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में न तो स्वंय दखल अन्दाजी करे। और न ही किसी अन्य से करवावे। डिक्री पर्चा जारी हों। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज न्याय आपके द्वारा 2018 कैम्प कोर्ट दईपड़ा खिचियान में मजमेंआम में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ़्तर हों। 28/6/2018 उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर लूणी न्याय आपके द्वार 2018	

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एंवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी अयूब खान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 57/2014

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
नाथूसिंह पुत्र कोजसिंह के कायम मुकाम 1/1 चन्द्रकंवर पत्नि नाथूसिंह 1/2 गंगासिंह पुत्र नाथूसिंह 1/3 हुकमसिंह पुत्र नाथूसिंह 1/4 गोविन्द सिंह पुत्र नाथूसिंह वादी संख्या 1/4 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता चन्द्रकंवर पत्नि नाथूसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीगण दईपड़ा खिचियान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. पीरा पुत्र भाना 2. हिमता पुत्र भाना दोनो जातियान घांची निवासीगण राईकों का टाका बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर। 3. कपुरा के कायम मुकाम 3/1 विश्नाराम पुत्र कपुरा 3/2 शंकरलाल पुत्र कपुरा 3/3 भूराराम पुत्र कपुरा 3/4 भैराराम पुत्र कपुरा 3/5 रामाराम पुत्र कपुरा 3/6 हंजा देवी पत्नि कपुरा 4. मांगीलाल पुत्र छोगाराम 5. अनोपराम पुत्र छोगाराम 6. जोगाराम के कायम मुकान 6/1 हिमताराम पुत्र जोगाराम 6/2 शैतानाराम पुत्र जोगाराम 7. सोहनलाल पुत्र पूनमा 8. कालूराम पुत्र पूनमा 9. रूपाराम पुत्र पूनमा सभी जातियान घांची निवासीगण समदड़ी तहसील सिवाना जिला बाडमेर। 10. भंवराराम के कायम मुकाम 10/1 रतनाराम पुत्र भंवराराम 10/2 शंकरराम पुत्र भंवराराम 10/3 हड़मानराम पुत्र भंवराराम 10/4 चुकी देवी पत्नि भंवराराम 11. खेताराम के कायम मुकाम 11/1 विकासराम पुत्र खेताराम 11/2 शान्तिलाल पुत्र खेताराम निवासीगण समदड़ी सिवाना जिला बाड़मेर। 12. भीयाराम पुत्र भोमाराम 13. तुलछा पुत्र भोमाराम सभी जातियान घांची निवासीगण राईको का टाका बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर। 14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 57/2014 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी श्री ईश्वरसिंह मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण देवेन्द्रसिंहमिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है डिगरी दी जाती हैं कि ग्राम दईपड़ा खिचियान के खसरा नम्बर 398 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा का वादी नाथूसिंह पुत्र कोजसिंह के वारिसान 1/1 चन्द्रकंवर पत्नि नाथूसिंह 1/2 गंगासिंह पुत्र नाथूसिंह 1/3 हुक्मसिंह पुत्र नाथूसिंह 1/4 गोविन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह वादी 1/4 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता चन्द्रकंवर पत्नि नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी दईपड़ा खिचियान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी सम्वत 2068-71 कि खाता संख्या 91 में दर्ज खातेदारों का नाम डिलिट किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में न तो स्वंय दखल अन्दाजी करे। और न ही किसी अन्य से करवावे।

नीज..मुबलिक...............................बाबत.................................खर्चा इरा मुकदमें के मय सूद व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक...को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 28.06.2018 को जारी की गई।

28/6/2018

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner